



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 24, 2019/वैशाख 4, 1941

No. 128]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019/VAISAKHA 4, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2019

सं. आई-45023/01/2019-कार्मिक-II.—केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सी.ए.पी.एफ.) अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल (आई.टी.बी.पी.) तथा सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) में सहायक कमांडेंट के पदों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 2019 में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:-

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग** से संबद्ध उम्मीदवारों का आरक्षण किया जाएगा। कुल रिक्तियों में से 10% रिक्तियां भूतपूर्व सैन्य कर्मी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होगी। अनारक्षित श्रेणी (अना.)/अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व/**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (इंडब्ल्यूएस)** श्रेणी के भूतपूर्व सैन्य कर्मी उम्मीदवार की गणना संबंधित श्रेणी की रिक्तियों के प्रति की जाएगी।

**टिप्पणी**—यदि पात्र अथवा अर्हक उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्ति (रिक्तियां) भरी नहीं जाती हैं, तो इन्हें गैर-भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा भरा जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट-1 में निर्धारित प्रक्रिया में किया जाएगा। परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

3. इन नियमों के अन्तर्गत भारत के नागरिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया जायेगा या रोजगार में नहीं लिया जायेगा, केवल उस व्यक्ति को छोड़कर जिसे केन्द्रीय सरकार ने लिखित रूप में सहमति प्रदान की हो।

बशर्ते कि इन नियमों के अंतर्गत नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति, नामांकन या रोजगार से विवर्जित नहीं किया जायेगा।

4. इस परीक्षा के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवार दोनों ही पात्र होंगे।

5. (क) उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त, 2019 को 20 वर्ष पूरी हो गयी हो तथा 25 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1994 से पहले तथा 1 अगस्त 1999 के बाद न हुआ हो।

(ख) उपर्युक्त निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट होगी:

- यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित हो तो अधिकतम 5 वर्ष।
- अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित ऐसे उम्मीदवार जो आरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं, को अधिकतम 3 वर्ष।

- (iii) केन्द्रीय सरकार के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष। भूतपूर्व सैनिक भी इस छूट को प्राप्त करने के पात्र होंगे। तथापि सरकारी सेवा के मामले में दावा की गई कुल छूट की सीमा पांच वर्ष होगी।
- (iv) यदि उम्मीदवार 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य का साधारण अधिवासी रहा हो तो अधिकतम 5 वर्ष।

**टिप्पणी-I :** अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पैरा 5 (ख) के अंतर्गत किसी अन्य वर्ग में आते हैं अर्थात् वे जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/भूतपूर्व सैनिकों अथवा जम्मू व कश्मीर का अधिवासी की श्रेणी में आते हैं, दोनों श्रेणियों के अंतर्गत दी जाने वाली संचयी आयु-छूट प्राप्त करने के पात्र होंगे।

**टिप्पणी-II :** भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय तथा संशोधित भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनः नियोजन) नियमावली, 1979 के अधीन भूतपूर्व सैनिक के रूप में परिभाषित किया गया है।

**टिप्पणी-III :** ऊपर पैरा-5(ख)(iii) में "असैनिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी" शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें समय-समय यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के अधीन "सरकारी कर्मचारी" के रूप में परिभाषित किया गया है।

**टिप्पणी-IV:** उपर्युक्त पैरा 5(ख)(iii) के अंतर्गत पूर्व सैनिकों को आयु संबंधी छूट स्वीकार्य होगी अर्थात् ऐसे व्यक्ति जिसने भारतीय संघ की सेना, नौसेना अथवा वायु सेना में कंबटेंट अथवा नॉन-कंबटेंट के रूप में किसी भी रैंक में सेवा की हो या जो ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो या अवमुक्त हुआ हो या सेवा मुक्त हुआ हो; चाहे ऐसा वह अपने अनुरोध पर हुआ हो या पंशन हेतु अर्हक सेवा पूरी करने के बाद नियोक्ता द्वारा अवमुक्त किया गया हो।"

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जायेगी।

आयोग जन्म को वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यामिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण-पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष मान्य प्रमाण-पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रार में दर्ज की गई हो और वह उद्घरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा प्रमाण-पत्र में दर्ज हो।

आयु के संबंध में अन्य दस्तावेज जैसे जन्मकुडली, शपथपत्र, नगर निगम, सेवा अभिलेख आदि से प्राप्त जन्म संबंधी उद्घरण तथा अन्य ऐसे प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आये हुए मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण-पत्र वाक्यांश में उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र भी सम्मिलित है।

**टिप्पणी-I :** उम्मीदवार यह ध्यान में रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/सेकेन्डरी परीक्षा प्रमाण-पत्र या समकक्ष परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न ही विचार किया जाएगा और न ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

**टिप्पणी-II :** उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए लिखी गई जन्म की तारीख एक बार आयोग के अभिलेख में दर्ज हो जाने के पश्चात् उसमें (या आयोग की किसी अन्य परीक्षा में) किसी भी कारण से परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित कोई अन्य शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में घोषित विश्वविद्यालय की बैचलर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता हो।

(क) **टिप्पणी-I :** यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुके हों जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह शैक्षिक दृष्टि से इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है, पर अभी उन्हें परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वे इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो उम्मीदवार वर्ष 2019 में अर्हक परीक्षा में बैठने का इरादा रखते हैं, वे भी इस परीक्षा में बैठने के पात्र हो सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार यदि अन्यथा पात्र होंगे तो उन्हें परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अंतरिम मानी जाएगी और अर्हक परीक्षा पास करने के प्रमाण प्रस्तुत न करने की स्थिति में उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उक्त प्रमाण पत्र परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त करने तथा शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण में भी अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने का ऐसा प्रमाण केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019 के विस्तृत आवेदन फार्म भरे जाने की नियत तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख का होना चाहिए।

**टिप्पणी-II:** अपवादिक मामलों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को शैक्षणिक दृष्टि से अर्हक मान सकता है जिनके पास इस नियम में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, बर्शाते कि उसने अन्य संस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा पास की हो, जिसके स्तर को आयोग स्वीकार करता हो उसे परीक्षा में प्रवेश दे सकता है।

**टिप्पणी-III :** जिन उम्मीदवारों के पास व्यवसायिक तथा तकनीकी डिग्री के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसायिक एवं तकनीकी योग्यता है वे भी परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

7. एन.सी.सी."बी" अथवा "सी" प्रमाण-पत्र का होना एक वांछनीय योग्यता है। इन वांछनीय योग्यताओं को केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय महत्व दिया जायेगा।

8. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा में भाग लेने वाले किसी भी बल में सहायक कमांडेंट के पद के लिए किसी पूर्व परीक्षा के आधार पर अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में सहायक कमांडेंट की भर्ती हेतु उत्तरवर्ती परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

9. इन नियमों के परिशिष्ट-II में निर्दिष्ट केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा, 2019 में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सीय मानकों को पूरा करना होगा।

10. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस में विनिर्दिष्ट शुल्क अदा करना होगा।

11. जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से या अनियमित या दैनिक दर कर्मचारी के अलावा कार्य प्रभारित कर्मचारी की भांति कार्य कर रहे हैं या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं उनको यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप में अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवारों को यह नोट कर लेना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से संबंध अनुमति रोकते हुए कोई सूचना मिलती है तो उनका आवेदन प्रपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

12. परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने और उसकी पात्रता या अन्यथा के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

परीक्षा में आवेदन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं। परीक्षा के उन सभी स्तरों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात् लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण अथवा साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक एवं चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण या साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई शर्त पूरी नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

13. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र नहीं है।

14. जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :

(क) गैर-कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ख) दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्रा या ऐसे प्रमाणपत्रा प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) आवेदन पफॉर्म में वास्तविक पफोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत पफोटो अपलोड करना।

(vi) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vii) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात् :

(क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्रा की प्रति प्राप्त करना;

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना ;

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना ; या

(viii) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना ; अथवा

(ix) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री ; अथवा

(x) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है ; अथवा

(xi) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ; अथवा

(xii) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन ; चाहे वह स्विच ऑफ ही क्यों ना हो, पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, चाहे वह बंद हो या चालू, प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो ; अथवा

(xiii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रमाण-पत्रों के साथ जारी आदेशों का उल्लंघन किया है ; अथवा

(xiv) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और/अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए, विवर्जित किया जा सकता है,

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है ।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है । किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

(1) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(2) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि कोई हो विचार न कर लिया जाए ।

15. (1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा उनके विवेकाधिकार से निर्धारित किए गए ऐसे न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं उन्हें शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण और चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट शारीरिक और चिकित्सीय मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(2) बशर्ते कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)** या भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को आयोग द्वारा छूट देने के स्तर अपनाते हुए आयोग द्वारा शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सीय मानदण्ड परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा जब आयोग के विचार में इन वर्गों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए इन वर्गों के उम्मीदवारों को सामान्य मानदण्ड के आधार पर बुलाने के लिए उम्मीदवारों की संख्या पर्याप्त नहीं है।

(3) वे उम्मीदवार जो इस नियमावली के परिशिष्ट-II में विनिर्धारित शारीरिक मानदण्डों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया है:

#### शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी. ई. टी.)

		पुरुष	महिलाएं
1	2	3	4
(क)	100 मीटर दौड़	16 सैकेण्ड में	18 सैकेण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सैकेण्ड में	4 मिनट 45 सैकेण्ड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(घ)	गोला फेंकना (शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.5 मीटर	---

(4) जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए जाते हैं केवल उन उम्मीदवारों का ही चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाये कि वे इस नियमावली के परिशिष्ट-II में निर्धारित चिकित्सा मानदण्डों को पूरा करते हैं। चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण में उम्मीदवारों को 'योग्य' या 'अयोग्य' घोषित किया जाएगा। वे उम्मीदवार जिन्हें चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण में 'अयोग्य' घोषित किया जाएगा उन्हें उनकी अपील के आधार पर अपील अधिकारी द्वारा 'समीक्षा चिकित्सा बोर्ड' के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(5) शारीरिक एवं चिकित्सा मानदण्ड परीक्षण एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा नामित नोडल प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में होगा। ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे जिन्हें लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

(6) केवल चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों के विरुद्ध अपील स्वीकार की जाएगी जो इन परीक्षणों के परिणाम घोषित होने के 15 दिन की अवधि के अंदर गृह मंत्रालय द्वारा नामोदित अपीलीय प्राधिकारी को की जानी चाहिए।

(7) जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में अर्हक घोषित किया जाता है। उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उनकी अपील के आधार पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा 'समीक्षा चिकित्सा बोर्ड' के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है उन्हें साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए अनंतिम रूप से बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 150 अंकों का होगा।

(8) शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) के समय गर्भावस्था अयोग्यता होगी तथा गर्भवती महिला उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(9) साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई उम्मीदवारों की लघु-सूची सहित अनंतिम रूप से साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बनाई गई लघु-सूची हेतु उम्मीदवारों को ऑन लाइन विस्तृत आवेदन प्रपत्र भरने के लिए कहा जाएगा जिसमें अन्य बातों के साथ बल की वरीयताएं निर्दिष्ट करने को कहा जाएगा।

(10) साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके समक्ष उम्मीदवारों के जीवन-वृत्त का रिकार्ड होगा। उम्मीदवार से प्रश्न उनके संबंधित क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य अभिरूचि के विषयों से पूछे जाएंगे ताकि उनका/उनकी जानकारी और समझ की जांच हो सके। विस्तृत अर्थों में यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा। बोर्ड विस्तृत रूप से अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगा :-

- i) शारीरिक बनावट
  - (क) आकृति
  - (ख) आचरण
  - (ग) शिष्टाचार एवं शिष्टता
- ii) सामान्य बुद्धिमत्ता, अभिरूचि एवं रूचि
  - (क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने, विश्लेषण तथा प्रस्तुत करने की योग्यता
  - (ख) अभिरूचि से संबंधित कार्य जैसे अनुशासन, सहानुभूति आदि
  - (ग) पाठ्योत्तर गतिविधियां-खेलों, खेल-कूदों, वाद-विवाद आदि में भागीदारी
- iii) मनोवृत्ति
  - (क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि
  - (ख) आत्म निर्भरता
  - (ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की योग्यता
  - (घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक
- iv) व्यक्तित्व का व्यवहारिक पहलू
  - क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतः व्यक्तिक संबंध
  - ख) मूल्यों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्धता

(11) ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक मानदण्ड/शारीरिक दक्षता परीक्षणों या चिकित्सा मानदण्ड परीक्षणों में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

16(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। तत्पश्चात् आयोग अनारक्षित पदों पर उम्मीदवारों की अनुशंसा हेतु परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली अनारक्षित रिक्तियों के संदर्भ में अर्हक अंक (जो बाद में सामान्य अर्हक मानक कहलाएगा) निर्धारित करेगा। आरक्षित रिक्तियों पर अ.जा., अ.ज.जा., अ.पि.व., आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा भूतपूर्व सैनिक के आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अनुशंसित करने के उद्देश्य से परीक्षा के आधार पर इन प्रत्येक वर्गों के लिए भरे जाने वाली आरक्षित रिक्तियों के संदर्भ में आयोग अर्हक मानक में छूट दे सकता है।

बशर्ते कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी स्तर पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का उपभोग नहीं किया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा। तथापि, यह प्रावधान उन भूतपूर्व सैनिकों उम्मीदवारों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी गणना 10% आरक्षण के प्रति की जाएगी चाहे उनकी मेरिट/प्राप्तांक कुछ भी हों।

आगे प्रावधान किया जाता है कि जो उम्मीदवार योग्यता-क्रम सूची में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु जिनका चिकित्सा माणदण्ड परीक्षण का परीक्षाफल लम्बित है उनको अस्थायी संस्तुति दी जाएगी।

(2) सेवा आबंटन के समय, अनारक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित किए गए अनुसूचित किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा आरक्षित रिक्तियों के तहत समायोजित किया जा सकता है यदि इस प्रक्रिया के जरिये वे अपने अधिमान के क्रम में उच्चतर विकल्प की सेवा को प्राप्त करते हैं।

(3) इस नियम उपबंधों के तहत अनारक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों की किसी भी कमी को ध्यान में रखते हुए तथा आरक्षित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों की किसी भी अधिकता के लिए आयोग अर्हक मानकों में और कमी कर सकता है। आयोग उप-नियम (4) एव (5) में निर्धारित तरीकों से इस बारे में अनुशंसा कर सकता है।

(4) उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय, आयोग प्रथम दृष्टया में सभी वर्गों में रिक्तियों की कुल संख्या का ध्यान रखेगा। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस कुल संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा **आर्थिक रूप से कमजोर** वर्गों के उन उम्मीदवारों की संख्या को घटाया जाएगा जिन्होंने उपनियम (1) के परन्तुक के शर्तों अनुसार पात्रता या चयन मानदण्ड में किसी प्रकार की रियायत या छूट प्राप्त किए बिना योग्यता या निर्धारित सामान्य अर्हक मानक से अधिक योग्यता प्राप्त की है। अनुशंसित उम्मीदवारों की इस सूची के साथ-साथ आयोग उम्मीदवारों की समेकित आरक्षित सूची अनुरक्षित करेगा जिसमें प्रत्येक वर्गों के अंतर्गत अंतिम अनुशंसित उम्मीदवार के नीचे योग्यता क्रम में रैंक किए गए सामान्य तथा आरक्षित वर्गों के उम्मीदवार शामिल होंगे। इस श्रेणी के उम्मीदवारों की संख्या आरक्षित श्रेणियों के उन उम्मीदवारों की संख्या के बराबर होगी जिन्हें उपनियम (1) के परन्तुक के अनुसार पहली सूची में पात्रता में या चयन मापदण्ड में बिना किसी छूट या रियायत के शामिल किया गया। आरक्षित वर्गों में से, आरक्षित सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के प्रत्येक उम्मीदवारों की संख्या प्रत्येक वर्गों में प्रारम्भिक रूप से कम की गई रिक्तियों की क्रमिक संख्या के बराबर होगी।

(5) उपनियम (4) में दिए प्रावधानों के अनुसार अनुशंसित उम्मीदवारों को सरकार द्वारा वे सेवाएं आबंटित की जाएंगी जहां कुछ रिक्तियों को अभी भी भरा जाना बाकी है। सरकार आरक्षित सूची में से योग्यता क्रम में प्रत्येक वर्ग में भरी जाने वाली रिक्तियों के प्रयोजन हेतु मांग की गई उम्मीदवारों की संख्या की अनुशंसा करते हुए आयोग को अध्याचना प्रेषित कर सकती है।

17. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने का रूप तथा प्रकार का निर्णय आयोग द्वारा उनके विवेक से किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

18. परीक्षा में सफलता से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिल जाता है जब तक यथावश्यक ऐसी जांच से सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र और पूर्ववृत्तों के संबंध में सेवा में नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है।

19. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यों के निष्पादन में व्यवधान आने की संभावना न रहे सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी चिकित्सीय जांच के बाद जो उम्मीदवार इन उपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**टिप्पणी:**— निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले वे अपनी जांच किसी सिविल सर्जन से करवा लें। उम्मीदवारों की नियुक्ति से पहले किए जाने वाले शारीरिक परीक्षण की प्रकृति तथा अपेक्षित मानक का विवरण इस नियमावली के परिशिष्ट-II में दिया गया है।

20. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों के सेवा आबंटन का कार्य गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त नोडल बल द्वारा, मेरिट तथा उम्मीदवारों द्वारा विस्तृत आवेदन प्रपत्र (डीएफ) में बलों हेतु उल्लिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाएगा।

**टिप्पणी:**— उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह विभिन्न सेवाओं/बलों के लिए वरीयता का उल्लेख करते समय अत्याधिक सावधानी बरतें। आयोग उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन प्रपत्र में निर्दिष्ट की गई वरीयताक्रम के संबंध में परिवर्धन/परिवर्तन किए जाने संबंधी उसके किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने आवेदन प्रपत्र में सभी सेवाओं/बलों, जिनके लिए वह पात्र है, का वरीयता क्रम से उल्लेख करें। यदि वह किसी सेवा/बल के लिए अपना वरीयता कम नहीं देता/देती है, तो यह मान उन सेवाओं/बलों, जिनके लिए उसने वरीयता दी है, में से किसी एक सेवा/बल का आबंटन नहीं किया जाता है तो उसे शेष बची किसी भी उस सेवा/बल के लिए आबंटित कर दिया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों की वरीयता के अनुसार किसी सेवा/बल पर सभी उम्मीदवारों को आबंटित कर लेने के पश्चात् रिक्तियों बाकी हों।

21. किसी भी उम्मीदवार को समुदाय संबंधी आरक्षण का लाभ उसकी जाति को केंद्र सरकार द्वारा जारी आरक्षित समुदाय संबंधी सूची में शामिल किए जाने पर ही मिलेगा। उम्मीदवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण का लाभ लेने के लिए तभी पात्र माना जाएगा जब वह केंद्र सरकार द्वारा जारी मानदंडों का पालन करता हो तथा उसके पास इस प्रकार की पात्रता का प्रमाण पत्र हो। यदि कोई उम्मीदवार केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेण्ट) परीक्षा के अपने प्रपत्र में यह उल्लेख करता है, कि वह सामान्य श्रेणी से संबंधित है लेकिन कालांतर में अपनी श्रेणी को आरक्षित सूची की श्रेणी में तब्दील करने के लिए आयोग को लिखता है तो आयोग द्वारा ऐसे अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार द्वारा एक बार आरक्षण श्रेणी चुन लिए जाने पर अन्य आरक्षित श्रेणी में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध अर्थात् अ.जा. को अ.ज.जा., अ.ज.जा. को अ.जा., अ.पि.व. को अ.जा./अ.ज.जा. या अ.जा./अ.ज.जा. को अ.पि.व., अनुसूचित जाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अंतिम परिणाम की घोषणा कर दिए जाने के उपरांत

सामान्य मेरिट के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों से भिन्न आरक्षित श्रेणी के किसी भी उम्मीदवार को उसकी आरक्षित श्रेणी से अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तन करने अथवा अनारक्षित श्रेणी की रिक्तियों (सेवा संवर्ग) के लिए दावा करने की अनुमति नहीं होगी।

22. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/ /भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध आरक्षण/रियायत के लाभ के इच्छुक उम्मीदवार यह सुनिश्चित करें कि वे नियमावली/नोटिस में विहित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण/रियायत के हकदार हैं। उपर्युक्त लाभों/नोटिस से संबद्ध नियमावली में दिए गए अनुबंध के अनुसार उम्मीदवारों के पास आने वाले दावे के समर्थन में विहित प्रारूप में आवश्यक सभी प्रमाण पत्र मौजूद होना चाहिए तथा इन प्रमाण पत्रों पर आवेदन जमा करने की निर्धारित तारीख (अंतिम तारीख) से पहले की तारीख अंकित होनी चाहिए।

परंतु यह भी कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार अपनी आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र (पात्रता का प्रमाण पत्र) ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र जमा करते समय प्रस्तुत कर सकते हैं। आय और परिसंपत्ति प्रमाणपत्र 01 अगस्त, 2019 से पहले जारी किया गया होना चाहिए। चूंकि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण हाल ही में अधिसूचित किया गया है, अतः ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए यह विस्तार केवल केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंट) परीक्षा 2019 के लिए लागू एक बार की छूट है।

23. कोई व्यक्ति :-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया हो या

विवाह के लिए अनुबंध कर लिया हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति/पत्नी है।

या

(ख) जिसने पहले से जीवित पति/पत्नी के होते हुए भी किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह के लिए अनुबंध किया हो। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक कमांडेंट के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार ऐसे किसी व्यक्ति को इससे छूट दे सकती है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह विवाह की ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक नियम के अंतर्गत अनुमति है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं।

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक)

### परिशिष्ट-I

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में (सहायक कमांडेंट्स) परीक्षा में सहायक कमांडेंट के पद के लिए लिखित परीक्षा की योजना तथा पाठ्यविवरण

(क) लिखित परीक्षा की योजना

लिखित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी जिसमें दो प्रश्न-पत्र होंगे (प्रश्न पत्र- I दो घण्टे की अवधि तथा प्रश्न पत्र- II तीन घण्टे की अवधि का होगा)।

प्रश्न-पत्र : I सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता — 250 अंक

इस प्रश्न पत्र में प्रश्न-पत्र में प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार से उत्तर प्रकार के होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होंगे।

प्रश्न-पत्र : II सामान्य अध्ययन, निबन्ध एवं अपठित गद्यांश

(काम्प्रीहेन्शन) —

200 अंक

इस प्रश्न-पत्र में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी में लिखने के विकल्प की अनुमति होगी किन्तु संक्षेपण लेखन, अपठित गद्यांश एवं अन्य संचार/भाषा कौशल केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी।

**टिप्पणी-1.** उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रश्न पत्र-II के उत्तर विभिन्न संघटकों के लिए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया है, आयोग द्वारा अनुमत माध्यम में ही लिखें प्रश्न पत्र में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।

**टिप्पणी-2.** उम्मीदवारों को निबन्ध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। निबन्ध के लिए कोई श्रेय नहीं दिया जायेगा यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबन्ध लिखा है।

**टिप्पणी-3.** प्रत्येक प्रश्न-पत्र में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार पर निश्चित किया जाएगा। प्रश्न-पत्र-। का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा प्रश्न-पत्र-।। का मूल्यांकन केवल उन उम्मीदवारों का किया जाएगा जो प्रश्न-पत्र-। में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करते हैं।

**टिप्पणी-4:** वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र में उम्मीदवार द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दंड (नेगेटिव मार्किंग) दिया जाएगा

- प्रत्येक प्रश्न के लिए चार वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए अंकों का  $1/3(0.33)$  दंड के रूप में काटा जाएगा।
- यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है, फिर भी उस प्रश्न के लिये उपर्युक्तानुसार उसी तरह का दंड दिया जाएगा।
- यदि उम्मीदवार द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् उम्मीदवार द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा।

**(ख) लिखित प्रश्न-पत्रों के पाठ्यविवरण :**

**प्रश्न-पत्र I : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता**

इस प्रश्न-पत्र में बहु विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे।

### **#1. सामान्य मानसिक योग्यता**

ये प्रश्न तार्किक विवेचना, गणितिय अभिरुचि सहित संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ों के निर्वचन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे।

### **#2. सामान्य विज्ञान**

ये प्रश्न सामान्य जागरूकता, विज्ञानिक प्रकृति, नये क्षेत्रों जैसे सूचना प्राद्योगिकी, जैव - प्रोद्योगिकी एवं, पर्यावरणीय विज्ञान आदि जैसे नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण की समझ (परिज्ञान) एवं मूल्यांकन के परीक्षण हेतु तैयार किए जाएंगे।

### **#3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं**

इन प्रश्नों से संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक मुद्दों, उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा राष्ट्रों के बीच पारस्परिक प्रभाव जैसे व्यापक क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाओं से संबंधित उम्मीदवारों की जागरूकता का परीक्षण किया जाएगा।

### **#4. भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था**

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों से देश के राजनीतिक व्यवस्था तथा भारत के संविधान, सामाजिक व्यवस्था और लोक प्रशासन, भारत में आर्थिक विकास सहित इसके सूचकों; क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों एवं मानवाधिकार के ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा।

### **#5. भारत का इतिहास**

ये प्रश्न व्यापक रूप से सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पहलुओं के विषयों से संबंधित होंगे। इनमें राष्ट्रवाद की प्रगति तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के क्षेत्र भी शामिल होंगे।

### **#6. भारत एवं विश्व का भूगोल**

ये प्रश्न भारत तथा विश्व से संबंधित भूगोल के भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक पहलुओं से संबंधित होंगे।

**प्रश्न-पत्र II : सामान्य अध्ययन, निबन्ध एवं अपठित गद्यांश**

**भाग क -** निबन्ध प्रकार के प्रश्न, जिनके उत्तर लम्बे वर्णनात्मक रूप में हिंदी या अंग्रेजी में दिए जाने हैं, कुल 80 अंकों के होंगे। निर्देशात्मक विषय हैं - आधुनिक भारतीय इतिहास विशेषतया स्वतंत्रता संग्राम, भूगोल, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सुरक्षा तथा मानवाधिकार मुद्दों की जानकारी तथा विश्लेषणात्मक योग्यता।



**भाग ख** – अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, अन्य संचार/भाषा कौशल— जिनके उत्तर केवल अंग्रेजी में दिए जाने हैं (अंक – 120) विषय हैं – अपठित गद्यांश, सारांश लेखन, प्रति-तर्क विकास, सामान्य व्याकरण तथा भाषा परीक्षण के अन्य पक्ष।

**परिशिष्ट-II**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेंटस) के पद के लिए उम्मीदवार हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानदण्ड

**परिशिष्ट-II(क)****(1) शारीरिक मानदण्ड :**

उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं :

	पुरुष	महिला
उँचाई	165 सें.मी	157 सें.मी
सीना(बिना फुलाए)	81 से. मी. (कम से कम 5 सें. मी. फुलाव के साथ)	(लागू नहीं)
वजन	50 कि.ग्रा.	46 कि.ग्रा.

इसके अलावा वजन परिशिष्ट-II(ख) में दर्शाई गई उँचाई और आयु के अनुसार होना चाहिए ।

**(2) चिकित्सा मानदण्ड :****(क) आँखों की दृष्टि :**

	अच्छी आँख (सही की गई दृष्टि)	खराब आँख (सही की गई दृष्टि)
दूर दृष्टि	6/6 या 6/9	6/12 6/9
निकट दृष्टि	एन-6 (सही की गई दृष्टि)	एन-9 (सही की गई दृष्टि)
चश्मे के साथ/लासिक सर्जरी		
अनुमेय अपवर्तक कमियों की सीमाएं	-4.00 डी (सिलेंडर सहित) निकट दृष्टि 4.00 डी (सिलेंडर सहित) दूर दृष्टि	
इतिहास परीक्षण द्वारा रंगदृष्टि – III		

निर्धारित मानदंडों के अध्याधीन लासिक सर्जरी शोधन (करेक्शन) की अनुमति निम्नानुसार है :-

- क) आयु— 18-35 वर्ष
- ख) अक्षीय फैलाव – 21.26 एम एम
- ग) कोर्निया का धनत्व – 425 माइक्रोन
- घ) लासिक पूर्व दोष – 6 डी
- ड.) शल्य चिकित्सा के पश्चात की अवधि – स्थिर अपवर्तक फ्लैप होना चाहिए
- च) अंतराल – 06 माह (शल्य चिकित्सा के पश्चात की अवधि आवश्यक है)  
(सीएपीएफ में भर्ती के लिए विचार किए जाते समय लासिक सर्जरी के पश्चात् उम्मीदवारों को 06 माह की अवधि पूरी करनी होगी ।

**(ख) कैरिंग एंगल:** कैरिंग एंगल पुरुषों के लिए 15 और महिलाओं के लिए 20 से अधिक नहीं होना चाहिए।

**(ग) कान :**

- (i) उम्मीदवार मे किसी भी प्रकार की बधिरता नही होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान बहता न हों ।  
(ii) उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपाजित) जैसे—मियेटस, अछिद्रग, अध्यस्थि बाहय अर्बुदजों कणमार्ग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करती हो और वक्त या प्रत्यावर्ती कर्णशूल, कर्णस्वेण तथा भ्रनि नही होने चाहिए ।

**(घ) नाक :** उम्मीदवार मे डी एन एस, शोषीनाशा, शोध, यक्ष्मिकीय, व्रण, जीर्ण वायुविवर नही होनी चाहिए ।

**(ङ) ग्रीवा :** उम्मीदवार मे विस्तृत लसिका पर्व, थायराइड या अन्य ग्रीवा उत्सेध (सूजन) नहीं होना चाहिए जो ग्रीवा को पूर्णरूपेण घुमाने मे अक्षम या मेरुदण्ड या ग्रैव के शरूका की बीमारियों का कोई प्रमाण देते हों ।

**(च) दंत :** उम्मीदवार मे सुचारू चर्वन के लिए समुचित संख्या मे पूरे दंत अवश्य होने चाहिए उम्मीदवार मे गंभीर पायरिया न हो ।

**(छ) रतिजरोग :** उम्मीदवार मे रोग लक्षण वीडि के सक्रिय चिन्ह नही होने चाहिए ।

**(ज) चिरकालिक त्वचारोग :** उम्मीदवार मे चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ट, चिरकारी त्वक्शोथ सघन तुषामशल्कन वर्सिकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नही होने चाहिए ।

**3. सामान्य मानदण्ड :**

- (क) शब्दो का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए ।  
(ख) उम्मीदवार मे चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का सन्धि शोध, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार के हृदय रोग के लक्षण नही होने चाहिए ।  
(ग) उम्मीदवार के शरीर मे कही कोई ग्रन्थिल सूजन दृष्टिगोचर तथा प्रत्यक्ष नही होनी चाहिए ।  
(घ) वक्ष सुगठित होना चाहिए, किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिक्टी गुटिका—माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नही होना चाहिए । दिल एवं फेफडे स्वस्थ होने चाहिए ।  
(ङ) अंग, हस्त तथा पाद सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिए तथा सभी संधियों की गति श्रेष्ठ होनी चाहिए ।  
(च) अस्थि संबंधी कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नही होना चाहिए ।  
(छ) सभी संधियों की गति अबाध तथा श्रेष्ठ होनी चाहिए ।  
(ज) पाद तथा पाद के अगूठें सुगठित होने चाहिए ।  
(झ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष नही होना चाहिए ।  
(ञ) किसी पुराने तीव्र या चिरकालिक रोग के संकेत, जिससे दोषयुक्त गठन का पता चले नही होने चाहिए ।  
(ट) उम्मीदवार को जनन मूत्र पथ का कोई रोग न हो ।  
(ठ) उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणेकोशीय सूजन या किसी प्रकार का हर्निया न हो ।  
(ड) (केवल पुरुषो के लिए) दोनो वृषण वृषणकोश मे है तथा सामान्य आकार के हैं ।  
(ढ) उम्मीदवार के संघट जानु, चपटे पाद, अतस्फीत शिराएं नही होनी चाहिए ।  
(ण) उनका मानसिक तथा शारिरिक स्थास्थय उत्तम हो तथा ऐसे शारिरिक दोषों से मुक्त हो जिनसे उनके कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निष्पादन मे बाधा आने की संभावना हो ।
- (4) उम्मीदवार हृदक्षिप्रता (नाडी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या हृदमन्दता (50 प्रति मिनट से कम) से पीडित न हो ।  
(5) उम्मीदवार हर्निया, अर्श, कान्डिलोमेटा मलाशय भ्रंश से पीडित न हो ।

**(6) टैटू संबंधी अनुच्छेद :**

- (क) विषय—वस्तु : धर्मनिरपेक्ष देश होने के नाते अपने देशवासियों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाएगा और इसलिए धार्मिक चिन्ह अथवा व्यक्तियों तथा उनके नाम को दर्शाते टैटू बनाने की अनुमति होगी, जैसा कि भारतीय सेना में किया जाता है ।  
(ख) स्थान : टैटू बनवाने की अनुमति शरीर के सामान्य हिस्सों पर ही होगी, जैसे केवल बाएं बाजू के अन्दरूनी भाग की तरफ, क्योंकि यह सलामी देने वाला हाथ नहीं है, यां हाथों के पिछले हिस्से (डोरसम) में ।  
(ग) अगर इसका आकार शरीर के संबंधित भाग ( कोहनी अथवा हाथ) के ¼ से कम होना चाहिए ।

**परिशिष्ट—II(ख)**

विभिन्न आयुवर्गों तथा ऊंचाई के लिए पुरुष औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

ऊंचाई से.मी. में	आयु वर्षों में			
	18—22	23—27	28—32	33—37
156	44—54	46—56	47—58	48—59
158	45—55	47—57	48.5—59.5	49.5—60.5
160	46—56	47.5—58.5	49.5—60.5	50.5—61.5
162	47—58	49—60	50.5—61.5	52—63
164	48—59	50—61	52—63.5	53—65
166	49.5—60.5	51.5—62.5	53—65	54.5—66.5
168	51—62	52.5—64.5	54.5—66.5	56—68
170	52—64	54—66	56—68	57.5—70.5
172	54—66	55.5—67.5	57—70	59—72
174	55—67	57—70	59—72	61—74.5
176	56.5—69	58.5—71.5	60.5—73.5	62—76
178	57.5—70.5	60—73	61.5—75.5	63.5—77.5
180	59—72	61—75	63.5—77.5	65.5—80
182	61—74.5	62.5—76.5	65—79	66.5—81.5
184	63—77	64.5—78.5	66.5—81.5	68.5—83.5
186	63.5—77.5	65.5—80.5	68—83	70—86
188	65—79	67.5—82.5	70—85.5	71.5—87.5
190	66—81	68.5—83.5	70.5—86.5	72.5—88.5

विभिन्न आयुवर्गों तथा ऊंचाई के लिए महिला औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में

ऊंचाई से.मी. में	आयु वर्षों में			
	18—22	23—27	28—32	33—37
148	34.5—42.5	37—45	38.5—47	39.5—48.5
150	36.5—44.5	37.5—45.5	39—48	40.5—49.5
153	38—46	39—48	41—50	42—51
155	38.5—47.5	40—49	41.5—50.5	43—52.5
158	40.5—49.5	42—51	43—53	44.5—54.5
160	41.5—50.5	43—52.5	44—54	45.5—54.5
163	43—52.5	44—54	46—56	47—57
165	44—54	45.5—55.5	47—58	48.5—59.5
168	45—55	47—57	48.5—59.5	49.5—60.5

- इस सारणी में केवल कुछ ऊंचाई (से.मी.) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं । बीच की ऊंचाई के संबंध में शारीरिक वजन की गणना के लिए 'औसत' का सिद्धांत प्रयुक्त किया जा सकता है ।
- सारणीबद्ध ऊंचाई से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए, ऊंचाई में प्रत्येक एक सें.मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है ।

**परिशिष्ट—III**

**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेण्ट) परीक्षा द्वारा भर्ती किए जाने वाले सहायक कमांडेण्ट के पदों के संबंध में संक्षिप्त विवरण**

1. अर्हक उम्मीदवारों को सहायक कमांडेण्ट के रूप में, नियमावली में निर्दिष्ट भाग लेने वाले बलों में से कोई एक बल आबंटित किया जाएगा और यह संगत बल अधिनियम के अध्यधीन होगा। नियुक्तियां परीक्षा आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएंगी बशर्ते कि विनिर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करके पुष्टि हेतु अर्हक न पाए जाने पर

परिवीक्षाधीन अधिकारी की यह अवधि और बढ़ाई जा सकती है। तीन वर्ष की अवधि के अन्दर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने में बार-बार असफल रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या उसके मूल पद पर, यदि कोई है, पदावनति हो सकती है।

2. सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असन्तोषजनक पाए जाने पर या उसके एक कुशल सहायक कमांडेण्ट बन पाने की संभावना नजर न आने पर सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त या उसके मूल पद पर, यदि कोई हो, पदावनति कर सकती है।

3. परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सरकार अधिकारी की नियुक्ति की पुष्टि कर सकती है अथवा सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक पाए जाने पर सरकार उसे उसकी सेवा से सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि आगे ऐसी अवधि तक बढ़ा सकती है जिसे सरकार ठीक समझे बशर्ते कि अस्थायी पदों में नियुक्ति के संबंध में पुष्टि का कोई दावा नहीं रहेगा।

4. यदि सेवा में नियुक्ति का अधिकार सरकार द्वारा किसी अन्य अधिकारी को सौंपा जाता है तो वह अधिकारी उक्त खंडों में निर्दिष्ट सरकार के किसी अधिकारी का प्रयोग कर सकता है।

5. वेतनमान :

(i) सहायक कमांडेण्ट— कनिष्ठ वेतनमान	<b>लेवल-10</b> रु.56100-177500
(ii) उप कमांडेण्ट—	<b>लेवल-11</b> रु.67700-208700
(iii) सेकंड-इन-कमांड*	<b>लेवल-12</b> रु.78800-209200
(iv) कमांडेण्ट**	<b>लेवल-13</b> रु.118500-214100
(v) उप-महानिरीक्षक—	<b>लेवल-13ए</b> रु.131100-216600
(vi) महानिरीक्षक—	<b>लेवल-14</b> रु.144200-218200

\* सी.आई.एस.एफ में ए.आई.जी./कमांडेण्ट कहलाता है।

\*\* सी.आई.एस.एफ में ए.आई.जी./कमांडेण्ट(एस.जी.) कहलाता है।

6. परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को संबंधित बल अकादमी से व्यावसायिक पाठ्यक्रम और सीमा सुरक्षा बल अकादमी, टेकनपुर से बुनियादी पाठ्यक्रम (फाउंडेशन कोर्स) का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। प्रत्येक प्रशिक्षक संस्था में उसे पाठ्यक्रम समापन परीक्षण (end-of-course-test) उत्तीर्ण करना होगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान ही इसके अतिरिक्त विभागीय परीक्षा, यदि कोई है भी उत्तीर्ण करनी होगी।

7. अकादमी से पाठ्यक्रम समापन परीक्षण (end-of-course-test) उत्तीर्ण न कर पाने की स्थिति में उसकी वह प्रथम वेतनवृद्धि उस तिथि से जिससे कि उसे यह मिलनी है अथवा जिस तिथि से, विभागीय नियमों के तहत, वह द्वितीय वेतनवृद्धि प्राप्त करता है तक, जो भी पहले हो, स्थगित कर दी जाएगी।

8. सीधी भर्ती से आने वालों के बीच परस्पर वरिष्ठता उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सहायक कमांडेण्ट) परीक्षा, सीमा सुरक्षा बल अकादमी टेकनपुर के बुनियादी पाठ्यक्रम (फाउंडेशन कोर्स) और संबंधित बलों की अकादमियों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के प्रप्तांकों को 50:10:40 के अनुपात में जोड़कर निर्धारित की जाएगी।

**टिप्पणी—1.** परिवीक्षाधीन अधिकारी सहायक कमांडेण्ट के वेतनमान के न्यूनतम से आरंभ करेंगे और वेतन वृद्धि के लिए अपनी सेवा की गणना पदभार ग्रहण करने की तिथि से करेंगे।

**टिप्पणी—2.** परिवीक्षाधीन अधिकारी को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि उसकी नियुक्ति केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सहायक कमांडेण्टों के पदों के सृजन में भारत सरकार द्वारा उचित मान कर समय-समय पर किए जाने वाले परिवर्तनों के अधधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के परिणामस्वरूप किसी भी प्रकार की क्षति पूर्ति का दावा नहीं किया जा सकेगा।

**टिप्पणी-3.** परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि पदोन्नति, यदि कोई है, मात्र उन्हीं को मिलेगी जो पदों से संबंधित भर्ती-नियमों में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं।

**टिप्पणी-4.** परिवीक्षाधीन अधिकारियों को इस आशय का एक अनुबंध-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि बल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई निश्चित अवधि के पूर्ण होने से पूर्व वे अपनी सेवाओं से त्यागपत्र नहीं देंगे। निश्चित अवधि पूर्ण होने से पूर्व त्यागपत्र देने की स्थिति में उन्हें बल द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाने वाला प्रशिक्षण शुल्क वापिस करना होगा।

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2019

**No. I-45023/01/2019-Pers-II.**—The Rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 2019 for the purpose of filling vacancies of Assistant Commandants in Central Armed Police Forces (CAPFs) viz. Border Security Force (BSF), Central Reserve Police Force (CRPF), Central Industrial Security Force (CISF), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and Sashastra Seema Bal (SSB) are published for general information:

1. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservation will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections. *10% of the total vacancies will be reserved for Ex-Serviceman candidates.* An Ex-serviceman candidate of Unreserved (UR)/SC/ST/OBC/EWSs category will be counted against the vacancies of the respective category.

**NOTE :** In case the vacancy(ies) reserved for Ex-servicemen remain unfilled due to non-availability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled by candidates from non-ex-servicemen category.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in **Appendix-I** to these rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government signified in writing, be appointed or employed under these Rules.

Provided that nothing contained in these rules shall debar the appointment, enrolment or employment of a subject of Nepal or Bhutan under these rules.

4. Both Male and Female candidates will be eligible for this examination.

5. (a) A candidate must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on the 1<sup>st</sup> August, 2019 i.e. he/she must have been born not earlier than 2<sup>nd</sup> August, 1994 and not later than 1<sup>st</sup> August, 1999.

(b) The upper age limit prescribed above will be relaxable-

(i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) Upto a maximum of three years in the case of candidates belonging to Other Backward Classes who are eligible to avail of reservation applicable to such candidates;

(iii) Upto a maximum of five years for Civilian Central Government Servants in accordance with the existing instructions of the Central Government. Ex-servicemen will also be eligible for this relaxation. However the total relaxation claimed on account of Government Service will be limited to five years.

(iv) Upto a maximum of five years if a candidate had ordinarily been domiciled in the State of Jammu & Kashmir during the period from 1<sup>st</sup> January, 1980 to the 31<sup>st</sup> day of December, 1989.

**Note-I :** Candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and the Other Backward Classes who are also covered under any other category of Para 5(b) above, viz. those coming under the category of Civilian Central Government Servants / Ex-servicemen and persons domiciled in the State of Jammu & Kashmir will be eligible for grant of cumulative age-relaxation under both the categories.

**Note-II :** The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time.

**Note-III:** The term “Civilian Central Government Servants” in Para 5(b)(iii) above will apply to persons who are defined as “Government Servants” in the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time.

**Note IV—**The age concession under rule 5(b)(iii) will be admissible to Ex-Servicemen i.e. a person who has served in any rank whether as combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension.

**SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.**

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognized by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University, which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificate.

No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted.

The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

**Note-I :** Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation / Secondary Examination Certificate or an equivalent Certificate as on the date of submission of applications will be accepted by Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

**Note-II:** Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an examination, no change will be allowed subsequently (or at any other examination of the Commission) on any grounds whatsoever.

6. A candidate must hold a Bachelor's degree of a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutions established by an Act of Parliament or declared to be deemed as a University under Section-3 of the University Grants Commission Act, 1956 or possess an equivalent qualification.

**Note-I:** Candidates who have appeared at an examination the passing of which would render them educationally qualified for the Commission's examination but have not been informed of the results as also the candidates who intend to appear at such a qualifying examination in the year 2019 will also be eligible for admission to the examination. Such candidates will be admitted to the examination if otherwise eligible but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the requisite examination along with the Detailed Application Form which will be required to be submitted to the Commission by the candidates who after qualifying on the result of the written part of the examination are also declared qualified in the Physical Standards/ Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests. Such proof of passing the requisite examination should be dated earlier than the due date (closing date) of Detailed Application Form of the Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination.

**Note-II:** In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate who has not any of the foregoing qualifications as a qualified candidate provided that he/she has passed examination conducted by the other Institutions, the standard of which in the opinion of the Commission justifies his/her admission to the examination.

**Note-III:** Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognized by Government as equivalent to professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

7. Possession of NCC 'B' or 'C' Certificate will be a desirable qualification. These desirable qualifications will be given consideration at the time of Interview/Personality Test only.

8. A candidate who has been finally selected on the basis of an earlier examination to the post of Assistant Commandants in any of the Forces participating in the Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination will not be eligible to appear at a subsequent examination for recruitment of Assistant Commandants in the participating Central Armed Police Forces.

9. Candidates must meet the prescribed Physical and Medical standards for admission to Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination, 2019 specified in **Appendix-II** of these Rules.

10. Candidates must pay the fee prescribed in the Commission's Notice.

11. All candidates in Government Service, whether in permanent or in temporary capacity or as work-charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under Public Enterprises will be required to submit an undertaking that they have informed in writing to their Head of Office/Department that they have applied for the examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their application will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

12. The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his/her eligibility or otherwise for admission to the examination shall be final.

The candidates applying for the examination should ensure that they fulfill all the eligibility conditions for admission to the examination. Their admission at all the stages of examination for which they are admitted by the Commission viz. written Examination, Physical and Medical Standard Tests or Personality / Interview Tests will be purely provisional subject to their satisfying the prescribed eligibility conditions. If on verification at any time before or after the Written Examination, Physical and Medical Standard Tests or Personality / Interview Tests, it is found that they do not fulfill any of eligibility conditions; their candidature for the examination will be cancelled by the Commission.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission from the Commission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

- (i) Obtaining support for his / her candidature by the following means, namely:-
  - (b) offering illegal gratification to, or
  - (c) applying pressure on, or
  - (d) blackmailing, or threatening to blackmail any person connected with the conduct of the examination, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) uploading irrelevant photos in the application form in place of actual photo/ signature.
- (vii) resorting to the following means in connection with his /her candidature for the examination, namely
  - (b) obtaining copy of question paper through improper means,
  - (c) finding out the particulars of the persons connected with secret work relating to the examination,
  - (d) influencing the examiners, or
- (viii) being in possession of or using unfair means during the examination, or
- (ix) writing obscene matter or drawing obscene sketches or writing irrelevant matter in the scripts, or
- (x) misbehaving in the examination hall including tearing of the scripts, provoking fellow examinees to boycott examination, creating disorderly scene and the like, or
- (xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations, or
- (xii) being in possession of or using any mobile phone (even in switched off mode), pager or any electronic equipment or programmable device or storage media like pen drive, smart watches etc. or camera or blue tooth devices or any other equipment or related accessories either in working or switched off mode capable of being used as a communication device during the examination; or
- (xiii) violating any of the instructions issued to candidates along with their admission certificates permitting them to take the examination, or

(xiv) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses,

may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution, be liable-

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he / she is a candidate and / or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period
  - (i) by the Commission from any examination or selection held by them.
  - (ii) by the Central Government from any employment under them, and
- (c) if he / she is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under these rules shall be imposed except after-

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he / she may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him / her into consideration.

15.(1) Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned for the Physical Standards / Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests to check whether they meet the Physical and Medical Standards specified in **Appendix-II** to these Rules:

(2) Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections or the Ex-servicemen may be summoned for the Physical Standards/ Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these categories are not likely to be summoned for the Physical Standards / Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

(3) Those candidate who meet the prescribed Physical Standards as specified in **Appendix-II** to these Rules, will be put through Physical Efficiency Test (PET) as indicated below:-

**PHYSICAL EFFICIENCY TEST (PET)**

	<b><u>Men</u></b>	<b><u>Women</u></b>
(a) 100 Metre race	In 16 Seconds	In 18 Seconds
(b) 800 Metre race	In 3 minutes 45 second	In 4 minutes 45 second
(c) Long Jump	3.5 Meters (3 chances)	3.0 Meters (3 chances)
(d) Shot Put (7.26 Kgs.)	4.5 Meters	-----

(4) Medical Standards Tests, to check the standards specified in **Appendix-II**, will be conducted only in respect of candidates who are declared qualified in the Physical Efficiency Tests. Candidates will either be declared "Fit" or "Unfit" in the Medical Standards Tests. Those candidates who are declared 'Unfit' in the Medical Standards Tests will be allowed to appear before the Review Medical Board on their appeals by the Appellate Authority.

(5) The Physical Standards / Physical Efficiency Tests and Medical Standards Tests will be conducted under the supervision of a Nodal Authority to be appointed by the Ministry of Home Affairs. These tests will be conducted at various centers to be notified after the results of the written examination.

(6) Appeals will be entertained only against the Medical Standards Tests and will have to be made to the Appellate Authority designated by the Ministry of Home Affairs within a period of 15 days from the date of declaration of the result of these tests.

(7) Candidates, who are declared qualified in the Medical Standards Tests, will be called for the Interview/Personality Test to be conducted by the Union Public Service Commission. Candidates, who are declared medically unfit but allowed to appear before the 'Review Medical Board' on their appeal by the Appellate Authority will be called for Interview/Personality Tests provisionally. The Interview/Personality Test will carry 150 marks.



(8) Pregnancy at the time of PET will be a disqualification and pregnant female candidate will be rejected.

(9) Candidates, who are short-listed for Interview/Personality Test including those short-listed for Interview/Personality Test provisionally, will be asked to fill up Online Detailed Application Form (DAF) in which among other things, they may be required to indicate their preferences of Forces.

(10) The Interview/Personality Test would be conducted by a Board of competent and unbiased persons who will have before them a record of the candidate's curriculum vitae. The candidate will be asked questions both in his/her own field as well as matters of general interest to test his/her awareness and understanding. In broad terms, this will be an assessment of not only his/her mental caliber but also his/her social traits and integrity of character. The Board would broadly assess the candidate inter-alia in the following:

(i) **Physical Make-up**

- (a) Appearance
- (b) Bearing
- (c) Manners and Mannerism

(ii) **General Intelligence, Aptitude and Interest**

- (a) Ability to perceive, analyse and present facts and situation.
- (b) Work related aptitudes, like discipline, empathy etc.
- (c) Extra-curricular activities-participation in games, sports, debates etc.

(iii) **Disposition**

- (a) Leadership, drive, determination, quick decision making etc.
- (b) Self-reliance.
- (c) Ability to face stress and crisis.
- (d) Courage-moral and physical.

(iv) **Behavioural aspects of personality**

- (a) Inter-personal relations with superiors and subordinates.
- (b) Commitment to values, integrity, secular and national orientation.

(11) The candidature of such candidates who do not qualify at the Physical Standards/Physical Efficiency Tests or Medical Standards Tests is liable for cancellation.

16(1) After the interview, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate in the Examination. Thereafter, the Commission shall, for the purpose of recommending candidates against unreserved vacancies, fix a qualifying mark (hereinafter referred to as general qualifying standard) with reference to the number of unreserved vacancies to be filled up on the basis of the Examination. For the purpose of recommending reserved category candidates belonging to Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Economically Weaker Sections and the Ex-servicemen against reserved vacancies, the Commission may relax the general qualifying standard with reference to number of reserved vacancies to be filled up in each of these categories on the basis of the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections who have not availed themselves of any of the concessions or relaxations in the eligibility or the selection criteria, at any stage of the examination and who after taking into account the general

qualifying standards are found fit for recommendation by the Commission shall not be recommended against the vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections. **However, this provision will not apply in case of Ex-serviceman candidates who will be counted towards 10% reservation irrespective of the merit/marks obtained.**

Further provided that the candidates who qualify in the order of merit but the results of whose medical standards test are pending will be recommended provisionally.

(2) While making service allocation, the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections recommended against unreserved vacancies may be adjusted against reserved vacancies by the Government if by this process they get a service of higher choice in the order of their preference.

(3) The Commission may further lower the qualifying standards to take care of any shortfall of candidates for appointment against unreserved vacancies and any surplus of candidates against reserved vacancies arising out of the provisions of this rule, the Commission may make the recommendations in the matter prescribed in Sub-rules (4) and (5).

(4) While recommending the candidates, the Commission shall, in the first instance, take into account the total number of vacancies in all categories. This total number of recommended candidates shall be reduced by the number of candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the Economically Weaker Sections who acquire the merit at or above the fixed general qualifying standard without availing themselves of any concession or relaxation in the eligibility or selection criteria in terms of the proviso to sub-rule (1). Along with this list of recommended candidate, the Commission shall also maintain a consolidated reserve list of candidates, which will include candidates from general and reserve categories ranking in order of merit below the last recommended candidate under each category. The number of candidates in each of these categories will be equal to the number of reserved category candidates who were included in the first list without availing of any relaxation or concession in eligibility or selection criteria as per proviso to sub-rule (1). Amongst the reserved categories, the number of candidates from each of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Class and the Economically Weaker Sections categories in the reserve list will be equal to the respective number of vacancies reduced initially in each category.

(5) The candidates recommended in terms of the provisions of Sub rule(4), shall be allocated by the government to the services and where certain vacancies still remain to be filled up, the Government may forward a requisition to the Commission requiring it to recommend, in order of merit from the reserve list, the same number of candidates as requisitioned for the purpose of the unfilled vacancies in each category.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate having regard to his / her character and antecedents is suitable in all respects for appointment to the service.

19. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his / her duties as an officer of the service. A candidate, who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe, is found not to satisfy these requirements will not be appointed.

**Note :** In order to prevent disappointment, candidates are advised to have themselves examined by a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standard required are given in **Appendix-II** to these Rules.

20. Service allocation in respect of finally selected candidates will be made by a Nodal Force to be appointed by the Ministry of Home Affairs on the basis of merit and preference for Forces to be indicated by the candidates in the Detailed Application Form (DAF).

**Note:** The candidate is advised to be very careful while indicating preference for various services/ forces. No request for additions/alteration in the preferences indicated by a candidate in his/her application will be entertained by the Commission. The candidate is also advised to indicate all the services/forces in the order of preference in his/her application form for which he/ she is eligible. In case he/she does not give any preference for any services/forces, it will be assumed that he/she has

no specific preference for those services/forces. If he/she is not allotted to any one of the services/ forces for which he/she has indicated preference, he/she shall be allotted to any of the remaining services/forces in which there are

vacancies after allocation of all the candidates who can be allocated to services/forces in accordance with their preferences.

21. A candidate will be eligible to get the benefit of community reservation only in case the particular caste to which the candidates belong is included in the list of reserved communities issued by the Central Government. The candidates will be eligible to get the benefit of the Economically Weaker Sections reservation only in case the candidate meets the criteria issued by the Central Government and in possession of such eligibility certification. If a candidate indicates in his/her application form for Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination that he/she belongs to General category but subsequently writes to the Commission to change his/her category to a reserved one, such request shall not be entertained by the Commission. Further, once a candidate has chosen a reserved category, no request shall be entertained for change to other reserved category viz. SC to ST, ST to SC, OBC to SC/ST or SC/ST to OBC, SC to EWS, EWS to SC, ST to EWS, EWS to ST, OBC to EWS, EWS to OBC. No reserved category candidates other than those recommended on General Merit shall be allowed to change his/her category from Reserved to Unreserved or claim the vacancies (Forces) for UR category after the declaration of final result by UPSC.

While the above principle will be followed in general, there may be a few cases where there was a gap not more than 3 months between the issuance of a Government Notification enlisting a particular community in the list of any of the reserved communities and the date of submission of the application by the candidates. In such cases the request of change of community from general to reserve may be considered by the Commission on merit.

22. Candidates seeking reservation/relaxation benefits available for SC/ST/OBC/EWS/Ex-Servicemen must ensure that they are entitled to such reservation/relaxation as per eligibility prescribed in the Rules/Notice. They should also be in possession of all the requisite certificates in the prescribed format in support of their claim as stipulated in the Rules/Notice for such benefits, and these certificates should be dated earlier than the due date (closing date) of the application.

Provided further that EWS Candidates can submit their Income and Asset Certificate (certificate of eligibility) at the time of submission of online Detailed Application Form (DAF). The Income and Asset Certificate must be dated earlier than 1<sup>st</sup> August, 2019. Since reservation for EWSs category candidates has been notified recently, therefore this extension for submission of certificate for EWSs category candidates is a one time relaxation applicable for Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination, 2019 only.

23. No person-

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the Post of Assistant Commandant in the Central Armed Police Forces.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

## APPENDIX-I

### SCHEME AND SYLLABUS OF THE WRITTEN EXAMINATION FOR THE POST OF ASSISTANT COMMANDANTS IN CENTRAL ARMED POLICE FORCES (ASSISTANT COMMANDANTS) EXAMINATION

#### (A) Scheme of Written Examination:-

The written examination to be conducted by Union Public Service Commission will comprise two papers: (Paper I-2 Hours duration and Paper-II- 3 Hours duration)

#### **Paper-I: General Ability and**

**Intelligence - 250 Marks**

This paper will be of Objective Type (Multiple Choice Questions) in which the questions will be set in English as well as Hindi.

**Paper-II: General Studies, Essay  
and Comprehension - 200 Marks**

In this paper candidates will be allowed the option of writing the Essay Component in English or Hindi, but the medium of Précis Writing, Comprehension Components and other communications/Language Skills will be English only.

**NOTE-1 :** Candidates should ensure that in Paper-II they write the Answers only in the Medium allowed by the Commission for the different components as mentioned above. No credit will be given for answers written in a medium other than the one allowed in the Paper.

**NOTE-2:** Candidates will be required to indicate the medium of writing the Essay Component in the Attendance List and on the Answer Book. No credit will be given for the Essay Component if the candidate indicates a medium on the Attendance List and on the Answer Book other than the one in which he/she has written the Essay.

**NOTE-3:** There will be minimum qualifying marks separately in each Paper as may be fixed by the Commission in their discretion. Paper-I will be evaluated first and evaluation of Paper-II will be done only of those candidates who obtain the minimum qualifying marks in Paper-I.

**NOTE-4. There will be penalty (Negative Marking) for Wrong Answers Marked by a candidate in the Objective Type Question Paper:**

- (i) There are four alternatives for the answer to every question. For each question for which a wrong answer has been given by the candidate,  $1/3^{\text{rd}}$  (0.33) of the marks assigned to that question will be deducted as penalty.
- (ii) If a candidate gives more than one answer, it will be treated as a wrong answer even if one of the given answers happen to be correct and there will be same penalty as above for that question.
- (iii) If a question is left blank i.e. no answer is given by the candidate, there will be no penalty for that question.

**(B) Syllabi of the Written Papers:-**

**Paper-I: General Ability and Intelligence**

The objective type questions with multiple choices in this paper will broadly cover the following areas:

**#1. General Mental Ability**

The questions will be designed to test the logical reasoning, quantitative aptitude including numerical ability and data interpretation.

**#2. General Science**

The questions will be set to test general awareness, scientific temper, comprehension and appreciation of scientific phenomena of everyday observation including new areas of importance like Information Technology, Biotechnology and Environmental Science.

**#3. Current Events of National and International Importance:**

The questions will test the candidates' awareness of current events of national and international importance in the broad areas of culture, music, arts, literature, sports, governance, societal and developmental issues, industry, business, globalization and interplay among nations.

**#4. Indian Polity and Economy:**

The questions shall aim to test candidates' knowledge of the Country's political system and the Constitution of India, social systems and public administration, economic development in India, regional and international security issues and human rights, including its indicators.

**#5. History of India**

The questions will broadly cover the subject in its social, economic and political aspects. This shall also include the areas of growth of nationalism and freedom movement.

**#6. Indian and world Geography:**

The questions shall cover the physical, social and economic aspects of geography pertaining to India and the world.

**Paper-II: General Studies, Essay and Comprehension**

**Part A** - Essay questions which are to be answered in long narrative form either in Hindi or English totaling 80 Marks. The indicative topics are modern Indian history especially of the freedom struggle, geography, polity and economy, knowledge of security and human rights issues, and analytical ability.

**Part B** – Comprehension, précis writing, other communications/language skills- to be attempted in English only (Marks 120) – The topics are Comprehension passages, précis writing, developing counter arguments, simple grammar and other aspects of language testing.

**APPENDIX-II****PHYSICAL AND MEDICAL STANDARDS FOR THE CANDIDATE FOR THE POST OF ASSISTANT COMMANDANTS IN THE CENTRAL ARMED POLICE FORCES****APPENDIX-II (A)****(1) Physical Standards:**

The minimum requirements for the candidate are as follows:

	<b>Men</b>	<b>Women</b>
Height	165 cm	157 cm
Chest (unexpanded) (with 5 cm minimum expansion)	81 cm	(Not applicable)
Weight	50 kg.	46 kg.

Moreover, the weight should be as per the height and age as mentioned in **Appendix-II(B)**.

**(2) Medical Standards:****(a) Eye Sight:**

	Better eye (corrected vision)	Worse eye (corrected vision)
Distant vision	6/6 OR 6/9	6/12 OR 6/9
Near Vision	<b>N6</b> <b>(corrected)</b>	<b>N9</b> <b>(corrected)</b>
<b>With Glasses/LASIK Surgery*</b>		
Limits of Refractive errors permitted	-4.00 D (including cylinder) Myopia +4.00 D (including cylinder) Hypermetropia	
Colour Perception-III (CP-III) by ISIHARA plates.		

\* LASIK surgery correction is permitted subject to prescribed criteria as below :-

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a) Age -                      | 18-35 years  |
| b) Axial-length -             | 21-26 mm.  |
| c) Corneal-thickness          | 425 micron   |
| d) Pre LASIK error -          | 6 D  |
| e) Post operative -<br>period | Should be stable<br>refractive flap  |
| f) Interval -                 | 06 months (post operative period mandatory)<br>(Candidate must have completed 06 months after LASIK surgery while considering for recruitment in CAPFs). |

**(b) Carrying angle:**

Carrying angle should not be more than 15° for male and 20° for female.

**(c) Ear:**

- Candidate should not have any degree of deafness or persistent ear discharge.
- Candidate should not have any other condition (congenital or acquired) like atresia of the meatus, exostosis, neoplasm which is causing obstruction of ear passage and should not have history of recurrent earache, tinnitus and vertigo.

**(d) Nose:** Candidates should not have DNS, atrophic rhinitis, tubercular ulceration, chronic sinusitis.

**(e) Neck:** Candidate should not have enlarged lymph nodes, thyroid or other swelling of neck, inability to extend the neck fully or any evidence of disease of spine or cervical vertebrae.

(f) **Teeth:** Candidate must possess sufficient number of sound teeth for efficient **mastication**. Candidate should not have severe pyorrhea.

(g) **Venereal Disease:** Candidate should not have active signs of clinical VD.

(h) **Chronic skin diseases:** Candidate should not have chronic skin diseases like Leprosy, chronic dermatitis, extensive Pityriasis Versicolor, psoriasis, SLE etc.

**(3) General Standards:**

- a) Speech should be without impediment i.e. no stammering.
- b) The candidate should not have any indication of chronic disease like TB, any type of arthritis, high blood pressure, Diabetes, Bronchial Asthma, any heart disease.
- c) Candidate should not have perceptible and visible glandular swelling any where in the body.
- d) Chest should be well formed, devoid of any abnormality like flat chest, Pigeon chest, with rickety rosary defects. Heart and lungs should be sound.
- e) Limbs, hands and feet should be well formed and fully developed and there shall be perfect motion of all joints.
- f) Should not have any old /mal united fracture of bones.
- g) There should be free and perfect movements of all the joints.
- h) Feet and toes should be well formed
- i) Should not have congenital malformation or defects.
- j) Should not bear traces of previous acute or chronic disease pointing to an impaired constitution.
- k) Candidate should have no disease of the genito urinary tract.
- l) Candidate should have no inguinal, scrotal swelling, any type of Hernia.
- m) (Only for male) Both the testicles are in the scrotum and of normal size.
- n) The candidate must not have knock knees, flat foot, varicose veins.
- o) They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties.

(4) Candidate should not suffer from TACHYCARDIA (more than 100 pulse rate per minute) or BRADYCARDIA (Less than 50 per minute).

(5) Candidate should not suffer from Hernia, hemorrhoids, condylomata prolapse rectum.

**(6) Tattoo Clause:**

(a) **Content :** Being a secular country, the religious sentiments of our countrymen are to be respected and thus, tattoos depicting religious symbol or figures and the name, as followed in Indian Army are to be permitted.

(b) **Location :** Tattoos marked on traditional sites of the body like inner aspect of forearm but only left forearm, being non saluting limb or dorsum of the hands are to be allowed.

(c) **Size :** Size must be less than  $\frac{1}{4}$  of the particular part (Elbow or Hand) of the body.

**APPENDIX-II(B)**

**Male Average Body Weights in Kilograms for Different Age Groups and Heights**

Height in CMs	Age in years			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.5-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5

172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59--72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

**Female Average body Weights in Kilograms for Different Age Groups - Heights**

Height in CMs	Age in years			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5
158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

- The body weights are given in this chart corresponding to only certain heights (in cms). In respect of height in between, the principle of 'Average' may be utilized for calculating body weights.
- For calculating average weight beyond the heights tabulated, 0.71 Kg for every one cm of increase or decrease in height may be added or subtracted respectively.

**APPENDIX-III**

**BRIEF PARTICULARS RELATING TO THE POST OF ASSISTANT COMMANDANT**

**TO WHICH RECRUITMENT IS MADE THROUGH**

**CENTRAL ARMED POLICE FORCES (ASSISTANT COMMANDANTS) EXAMINATION**

1. Qualified candidates will be allocated to one of the participating Forces, mentioned in the Rules as Assistant Commandant and will be subject to the relevant Act of the Force. Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for a confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment or reversion to his / her substantive post, if any.
2. If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he / she is unlikely to become an efficient Assistant Commandant, the Government may discharge him/her forthwith or may revert him/her to its substantive post, if any.
3. On the conclusion of his / her period of probation, Government may confirm the officer in his/her appointment or if his / her work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory. Government may either discharge him / her from the service or may extend his / her period of probation for such further period as Government may think fit provided that in respect of appointment to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.
4. If the power to make appointment in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

## 5. Scale of pay:

(i) Assistant Commandant-junior scale	Level 10 - Rs.56100 – 177500
(ii) Deputy Commandant -	Level 11 - Rs.67700 – 208700
(iii) Second-In Command* -	Level 12 - Rs.78800 – 209200
(iv) Commandant**	Level 13 - Rs.118500–214100
(v) Deputy Inspector General-	Level 13A-Rs.131100–216600
(vi) Inspector General	Level 14 - Rs.144200–218200

\* called AIG/Commandant in CISF.

\*\* called AIG/Commandant (SG) in CISF

6. During the period of probation an officer will undergo training of professional courses in respective Academy of the Forces and Foundation Course in BSF Academy at Tekanpur. In the each training institution, he / she will have to pass the end-of-course test. In addition departmental examination if any, will also have to be passed during the period of probation.

7. In cases, he / she does not pass the end-of the course test at the Academy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he / she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

8. The seniority amongst direct recruits, inter-se shall be determined by adding together the marks obtained by them in Central Armed Police Forces (Assistant Commandants) Examination conducted by the Union Public Service Commission, in the Foundation Course in the BSF Academy, Tekanpur and the Professional Training Course conducted in the Academy of the respective Force in the ratio of 50:10:40.

**NOTE-1.** Probation Officers will start on the minimum of the scale of pay Assistant Commandant and will count their service for increments from the date of joining.

**NOTE-2.** It should be clearly understood by the probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the posts of Assistant Commandant in the Central Armed Police Forces which the Govt. of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequences of any such changes.

**NOTE-3.** It should be clearly understood by the probationers that the promotion, if any, on their turn, will be available only to those who fulfill the conditions of eligibility criteria provided in the respective Recruitment Rules of the posts.

**NOTE-4** The probationers are required to execute a bond to the effect that he / she shall not resign the service before completion of scheduled period prescribed by the force from time to time. In case of resigning prior to completion of the scheduled period, he / she shall refund the cost of training fixed by the Forces from time to time.